>

Title: Regarding non availability of doctors & other health facilites to prisoners in Bhopal.

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (**भोपाल**): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भोपाल में रहती हूँ और भोपाल जेल में भी रही हूँ। इसलिए कहती हूँ कि प्रत्यक्षम किं प्रमाणम। जब मैं वहाँ थी, तो मैंने वहाँ देखा, आज की स्थिति तो और बुरी है, वहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं। वहाँ तीन हजार पुरुष कैदी हैं, लगभग डेढ सौ महिलाएँ और 25-30 बच्चे हैं। उन बच्चों का कोई अपराध नहीं है, जो 10-12 दिन के समय से लगभग छह वर्ष तक अपनी माँ के साथ रहते हैं, लेकिन उनके लिए डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि वे बच्चे अचानक बीमार पड़ जाते हैं, तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है और उनको कोई डॉक्टर नहीं मिलते हैं।

महिलाओं के लिए भी कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ तक कि कोई नर्स भी नहीं है, जो तत्काल चेक करके उनको प्राथमिक ट्रीटमेंट देकर भेज सके।

उन बच्चों को प्रॉपर आहार भी नहीं मिलता है। बच्चों को जो विटामिन्स और प्रोटिन्स मिलने चाहिए, वह डाइट भी उनको नहीं मिल पाती है।

जब किसी को पकड़कर जेल भेजा जाता है, जाने कब किसको जेल में जाना पड़े, यह पता नहीं होता है। वर्तमान में राज्य सरकार किसी को भी जेल भिजवा देती है, वह फोन करती है और वहाँ जैसे ही कोई बंदी कोर्ट से आता है, तो जेलर द्वारा उसको इतना पीटा जाता है, जब कि पीटने के लिए कोई भी अधिकृत नहीं है, कोई भी कागजी कार्रवाई की जा सकती है, किन्तु उनको बहुत पीटा जाता है। हमारा एक कार्यकर्ता घायल हुआ और अंत में वह आत्महत्या करने के लिए तैयार था। परंतु, मैंने उसको रोका और उसे विश्वास दिलाया कि तुम्हारी कार्रवाई की जाएगी।

महोदय, कानून का पालन हो, वहाँ लेडी डॉक्टर्स आएँ, नर्सेज आएँ और बच्चों की विशेष केयर के लिए कम-से-कम शिशु रोग विशेषज्ञ आएँ।

माननीय अध्यक्ष: श्री उदय प्रताप सिंह को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।